



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-10032026-270797
CG-UP-E-10032026-270797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1178]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1178]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1230(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लेखित राज्यों में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करता है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

कम सं.	परियोजना का नाम	जिला	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	औड़िहार-वाराणसी सिटी के मध्य तीसरी रेल लाइन (31.36 किमी०)	गाजीपुर & वाराणसी	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/CON/247/ARJ-BCY/3rdLine]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Eastern Railway (Construction Organisation)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1230(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government, on the date of publication of this notification in the Official Gazette, notifies the project mentioned in column (2) in mentioned States in column (4) of table given below as Special Railway Projects.

Schedule
Special Railway project

Sl. No.	Name of Project	District	State/UT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3rd line between Aunrihar-Varanasi City (31.36 Kms)	Ghazipur & Varanasi	Uttar Pradesh

[F. No. W/CON/247/ARJ-BCY/3rdLine]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Con.